न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 155/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/312)

निर्णय दिनांकः 18.3.26

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार साकिन चक 2 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–05–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28–05–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र पात्र होते हुए भी अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 20 के.एच.एम. तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नम्बर 239/3 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट को दिनांक 30–09–1997 को भूमि आवंटन हेतु

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सक्षम घोषित किया गया। तथा अपीलाट का प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष रखे जाने कि आदेश प्रदान किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर दिनांक 24–10–1997 को आवंटन की कार्यवाही हेतु आगामी तारीख नही बताई गई। और अंकित किया कि पत्रावली बाद में कैम्प पूगल में पेश हो। करीब 2 वर्ष पश्चात दिनांक 28–05–1999 को पत्रावली पेशी में ली जाकर गलत आधार पर सरसरी तौर पर अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया तथा आदेश में यह अंकित किया कि वरियता के आवेदक को भूमि आवंटन हो चूकी है जबकि आज तक भूमि रकबाराज है। किसी अन्य को आवंटन नही हुई है। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक भी नोटिस अपीलांट को उपस्थित होने हेतु नही दिया गया था ना ही कोई तामील करवाई गई। एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

अपीलांट भूमि आवंटन का पात्र था व आज भी भूमि आवंटन करवाने का पात्र है इस कारण अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि का आवंटन अपीलांट को किया जाना आवश्यक है। अपीलांट आज भी उक्त भूमि की पात्रता रखता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित करते हुए कि प्रथम वरियता के आवेदक को भूमि आवंटित हो चुकी है। यदि अपीलांट उक्त आवेदित रकबे में वरियता में भूमि आवंटित नहीं करवा सका है तो विशेष आवंटन के नियमों के तहत अपीलांट आज भी भूमि पाने का अधिकारी है क्योंकि अपीलांट का पेशा खेती का है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 20 के एच एम के मुरब्बा नम्बर 239/3 भूमि आवंटन हेतु बतौर विशेष आवांटन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज यथा वोटर लिस्ट की प्रति, सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर आगामी पेशी दिनांक 24–10–1997 नियत की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 24–10–1997 में अंकित किया है कि अपीलांट/प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद के अलावा उक्त भूमि बाबत अन्य व्यक्ति श्रीमती अन्नी देवी पत्नी कानाराम द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वरियता तय की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम वरियता श्रीमती अन्नीदेवी पत्नी कानाराम की तय की गई तथा द्वितीय वरियता राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ख्यालीराम की तय की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली बाद में कैम्प पूगल में पेश होने के आदेश प्रदान किये। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 28–05–1999 में अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रथम वरीयता के आवेदक को भूमि आवंटित हो चुकी है। अतः प्रार्थी/अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 24–10–1997 में वादग्रस्त भूमि के आवंटन बाबत वरियता तय की गई है जिसमें प्रथम वरियता अन्नी देवी पत्नी कानाराम व द्वितीय वरियता राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ख्यालीराम की तय की गई है उक्त वरियता किस आधार पर तय की गई है इसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 28–05–1999 द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का आवेदन यह करते हुए खारिज किया है कि प्रथम वरियता के आवेदक को भूमि आवंटित हो चुकी है। परन्तु इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा जमाबंदी संवत 2076–2079 (वर्ष 2020) प्रस्तुत की गई जिसमें उक्त प्रश्नगत आराजी चक 20 के.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 239/3 के किला नम्बर 1 ता 25 की भूमि वर्तमान में अराजीराज दर्ज है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 28–05–1999 में यह अंकित किया है कि प्रथम वरियता के आवेदक को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तो वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि अराजीराज किस प्रकार से है? इस संबध में पत्रावली पर किसी प्रकार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है। इसलिए इस बिन्दू पर किसी प्रकार का विनिश्चय नही किया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 24–10–1997 में यह अंकित किया है कि चक २8 के.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 239/3 श्रीमती अन्नी देवी पत्नी कानाराम सारण ने भी आवेदन किया, जो प्रथम वरियता के होने के कारण जरिये निलामी भूमि आवंटन करने की अभिसंशा की गई। यदि उक्त भूमि जरिये नीलामी आवंटित नही होती है तो श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जो द्वितीय वरियता में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा घोषित किया गया है कि बीच नीलामी भूमि आवंटित की जाएगी। चूंकि प्रश्नगत अराजी वर्तमान में अराजीराज है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो, तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 18-3-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर